तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

खण्ड पीठ
श्री मुकेश कुमार शर्मा, अध्यक्ष
श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री डूंगरसिंह राठौड, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री अयूब खां, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या–2 से 11

निर्णय

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 224 के अंतर्गत न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 22–4–95 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील ज्ञापन अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रेस्पोडेंट जस्सूसिंह ने एक राजस्व वाद इस्तकरारहक व हुक्मइम्तनाईदवामी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर बानूसर के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 106 मिन रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम केहरपुरा जिसमें वादी के पिता फूलसिंह एक बीधा 10 बिस्वा के खातेदार काश्तकार है जिसक हाल नंबर 215 व 214 बने है इस आराजी पर वादी का अपने पिता के समय से कब्जाकाश्त चला आ रहा है। प्रतिवादीगण ने हाल बंदोबस्त में अपने नाम का गलत इंद्राज करा लिया। अतः वाद डिक्री किया जावे। परीक्षण न्यायालय ने उभय पक्ष को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 31–3–93 द्वारा वादीगण का वाद खारिज कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने प्रथम अपील न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के समक्ष प्रस्तुत की। जिसे प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22–4–95 द्वारा स्वीकार करते हुये डिक्री कर दिया एंव परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील राजस्व मण्डल में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील ज्ञापन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि अपीलीय न्यायालय को निर्णय न्याय, नियम एवं रिकोर्ड से परे है। परीक्षण न्यायालय ने गुणावगुण पर कोई निर्णय नहीं दिया है बल्कि मिस जोइंडर आफॅ पार्टी के आधार पर दावा खारिज किया है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील स्वीकार भी की गई थी तो पुनः निर्धारण हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमांण्ड करना चाहिये था। विचारण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा करते हुये वादी का वाद मिस जोइंडर आफॅ पार्टी के आधार पर खारिज किया है, किंतु अपीलीय न्यायालय ने उक्त समस्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं को नजरअदांज करते हुये अपने संक्षिप्त निर्णय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय नियमों से परे निरस्त कर दिया। अतः अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे एंव अपील स्वीकार की जाकर परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा जावे। उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में कहा कि विवादित आराजी जमाबंदी संवत् 2011, मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संख्या 2042 में वादी रेस्पो0 के पिता फूलसिंह का नाम दर्ज है। वादी द्वारा वाद को साबित कराया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा परीक्षण न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई विधिक या तथ्यात्मक भूल नहीं की गयी है, जिसमें किसी प्रकार की दिखाई देने वाली विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होने के कारण द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का अद्योपांत अवलोकन व अध्ययन किया गया। रेस्पोडेंट संख्या–1 वादी जस्सूसिंह द्वारा अपीलांट प्रतिवादीगण के विरूद्ध सहायक कलेक्टर बानसूर के न्यायालय में प्रस्तुत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में मुख्य आधार यह लिया है कि आराजी साबिक खसरा नंबर 106 मिन रकबा 5 बीधा 4 बिस्वा में उनके पिता फूलसिंह का 1/3 हिस्सा दर्ज है। जिसके सेटलमेंट उपरांत नये खसरा नंबर 214 रकबा एक बीधा 10 बिस्वा व 215 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा बने है। जिन्हें सेटलमेंट से मिलकर प्रतिवादीगण ने अपने नाम दर्ज करा लिया है। अतः खसरा नंबर 214 व 215 प्रतिवादीगण के नाम से हटाकर रेस्पोडेंट वादीगण के नाम दर्ज किया जावे। उक्त आराजीयात उनके कब्जेकाश्त में है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रदर्श–1 नकल मिलान क्षेत्रफल, प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत् 2011 व प्रदर्श–3 नकल जमाबंदी संवत् 2042–45 के दस्तावेज प्रस्तुत किये। रेस्पोडेंट वादी के द्वारा वर्तमान खसरा नंबर 214 व 215 में 1 बीधा 10 बिस्वा उत्तर की तरफ की भूमि का खातेदारी काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा गया है। परंतु खसरा नंबर 214 के 2042–45 की जमाबंदी में अंकित रिकोर्डेड खातेदार अमरसिंह, रामसिंह पिसरान किनकसिंह को उक्त वाद में पक्षकार के रूप में संयोजित	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	नहीं किया है। आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद भी पक्षकार नहीं बनाये जाने से वांछित अनुतोष देय नहीं था व वाद खारिज योग्य था। इसके अतिरिक्त नकल मिलान क्षेत्रफल के खसरा नंबर 214 व 215 साबिक खसरा नंबर 106 मिन व 107 से बने है। जबकि वादी स्वयं के पिता को साबिक खसरा नंबर 106 मिन के 1/3 हिस्से का 2011 में मौरूसी काश्तकार बताता है। रेस्पो0/वादीगण के द्वारा साबिक खसरा नंबर 106 मिन का रकबा 5 बीधा 4 बिस्वा बताया है जबकि नकल मिलान क्षेत्रफल में 106 मिन का रकबा 2 बीधा 5 बिस्वा का ही रिकोर्ड पेश किया है। अतः वाद के समर्थन में 106 मिन का आंशिक रिकोर्ड ही पेश किया है। साबिक खसरा नंबर 107 रेस्पोडेंट वादीगण के खाते में दर्ज होने बाबत् न तो कोई कथन है व न ही कोई साक्ष्य पेश की गई है। इस प्रकार वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य वादी के वाद पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं करते है। वादी द्वारा साबिक व हाल नक्शा ट्रैस की प्रति भी पेश नहीं की गई है जो कि वादी के कथन की पुष्टि कर सकते थे।वादी के द्वारा हाल खसरा नंबर 214 व 215 के मुल रकबा 2.20 बीधा में 1.10 बीघा जो कि उक्त खसरा नंबरों के उत्तरी छोर पे है के बाबत् अनुतोष चाहा गया है। साबिक व हाल नक्शा ट्रैस के अभाव में वादी/अपीलांट के दावे की पुष्टि संभव नहीं है। न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वारा साक्ष्य के अभाव में वाद खारिज किया है, जोकि सर्वथा उचित है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुये निर्णय पारित किया है जोकि उचित नहीं ठहराया जा सकता है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि खसरा नंबर 214 के रिकोर्डेड खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया जिसके अभाव में वाद खारिज योग्य था, यद्यपि सहायक कलेक्टर द्वारा साक्ष्य के अभाव में वाद अवश्य खारिज किया गया है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने हेतु किसी प्रकार का सुसंगत कारण अंकित नहीं किया है तथा उनके द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के संदर्भ में प्रकरण के विवेचन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत् अपील स्वीकार योग्य है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–4–1995 निरस्त किया जाता है। दोनों अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद फैसल शुमार की जाकर तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । (आर.के.जायसवाल) (मुकेश कुमार शर्मा) सदस्य अध्यक्ष	